महत्वपूर्ण/ई–मेल

444
28/01/22

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/9438 लखनऊ/ दिनांक- 28-01-2022

विषयः–कोविड–19 महामारी के संकमण के रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20.04.2021 एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अनुपालन में सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यालयों में धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/8375, दिनांक 13.04.2020 पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020–21/8478, दिनांक 29.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं पान–मसाला अथवा गुटखा खाकर इधर–उधर थूंकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जैसा कि आप अवगत है कि धूम्रपान, मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते है तथा थूकने को प्रेरित करते हैं, जिससे कोविड–19 संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ता है।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश–381/2020/सी0एक्स0–3, दिनांक 03 मई, 2020 एवं शासनादेश–786/तीन–18–06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं कोविड–19 के संक्रमण के फैलने के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर पान–मसाला अथवा गुटखा खाकर इधर–उधर थूंकने को प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एव पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–40–3/2020–डी0एम0–1(ए0), दिनांक 29.04.2021 एवं उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5, पत्र संख्या–715/पांच–5–2021, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 द्वारा जारी अधिसूचना मे संशोधन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को प्रतिबन्धित किया गया है।

अतः कोरोना महामारी (कोविड–19 संक्रमण) को ध्यान में रखते हुए सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अनुपालन में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने–अपने जनपद मे सार्वजनिक स्थानों, समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में धूम्रपान, पान मसाला, खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के उपयोग अथवा पान–मसाला, गुटखा इत्यादि खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/ लखनऊ/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई–मेल द्वारा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वस्थ्य, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख सचिव गृह, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय सवास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)